

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 63/2023

दर्ज दिनांक 04.07.2023

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2023/259

अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. कैलाशी पुत्री रामा पति रमेश रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोदावरी पुत्री रामा पति सुरेश रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. कंकु पत्नि ख्यालीराम रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नेनुराम पुत्र चुना रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. प्रेमी पुत्री चुना रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मगनी पुत्री चुना रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. हीरालाल पुत्र चुना रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रूपा पुत्र अमरा रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 6/1. गोकल पुत्र रूपा रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6/2. भागीरथ पुत्र रूपा रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6/3. नेनु बेवा रूपा रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

उपरिस्थित

1. फारूख मोहम्मद रंगरेज – अधिवक्ता वादी
2. राजुलाल रेगर – प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6

:: निर्णय ::

दिनांक:- 12/2/2026

1. संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 25.02.2025 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आवादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कृषि आराजियात संख्या 2188 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2189 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 2190 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 2191 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 2192 रकबा 0.



सहायक कलक्टर
(रा.जी.ओ.) रायपुर

18 है0, आराजी संख्या 2193 रकबा 0.31 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.93 है0 भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे अनुसार बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./वि.प्र./2025/1399 दिनांक 03.11.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।
4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	1. कैलाशी पुत्री रामा पति रमेश 1/2 रेगर 2. गोदावरी पुत्री रामा पति सुरेश 1/2 रेगर	ग्राम बोराणा (खाता संख्या 1042)	2190 2193	0.16 0.31
		योग	2	0.47
2	1. तुलसीराम पुत्र गोपीलाल 2/3 सालवी 2. रूपा पुत्र अमरा 1/12 रेगर 3. संपत पुत्र ख्यालीलाल 1/4 रेगर	ग्राम बोराणा (खाता संख्या 1042)	2188 2189 2191 2192	0.02 0.08 0.18 0.18
		योग	4	0.46

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



निर्णय आज दिनांक 12/12/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करुणा लाडोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

(करुणा लाडोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर०ए०एस०)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 63 / 2023

दर्ज दिनांक 04.07.2023

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2023 / 259

अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. कैलाशी पुत्री रामा पति रमेश रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोदावरी पुत्री रामा पति सुरेश रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. कंकु पत्नि ख्यालीराम रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नेनुराम पुत्र चुना रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. प्रेमी पुत्री चुना रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मगनी पुत्री चुना रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. हीरालाल पुत्र चुना रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रूपा पुत्र अमरा रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 6/1. गोकल पुत्र रूपा रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6/2. भागीरथ पुत्र रूपा रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6/3. नेनु बेवा रूपा रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::
(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

निर्णय दिनांक : 12/2/2026


डिक्री दिनांक : 12/2/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री फारूख मोहम्मद मन्सूरी, राजु लाल नायक व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	1. कैलाशी पुत्री रामा पति रमेश 1/2 रेगर 2. गोदावरी पुत्री रामा पति सुरेश 1/2 रेगर	ग्राम बोराणा (खाता संख्या 1042)	2190 2193	0.16 0.31
		योग	2	0.47
2	1. तुलसीराम पुत्र गोपीलाल 2/3 सालवी 2. रूपा पुत्र अमरा 1/12 रेगर 3. संपत पुत्र ख्यालीलाल 1/4 रेगर	ग्राम बोराणा (खाता संख्या 1042)	2188 2189 2191 2192	0.02 0.08 0.18 0.18
		योग	4	0.46




सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.) रायपुर

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे।

नीजNil.....मुबलिंग Nilबाबत् Nil
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nilका अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/2/2026 को जारी किया गया।

(करुणा लाडोती)
सहायक कलक्टर पटने
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ()	—		महनताना वकील ()	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

(करुणा लाडोती)
सहायक कलक्टर पटने
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

